



राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम

ई.एम. आई. केम्पस, जे-8बी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004.

मोबाईल नम्बर -5103249,5103164, फेक्स नम्बर - 0141-5103246 वेबसाइट-www.livelihoods.rajasthan.gov.in

F(RSLDC/MMKVY/2021-22/ 41612-616

Date 23/12/2021

परिपत्र 2/2021 (एम.एम.के.वी.वाई.)

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (एम.एम.के.वी.वाई.) की मार्गदर्शिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

श्रेणी	क्र.सं.	संदर्भ	संशोधित दर
श्रेणी-द्वितीय सक्षम	1.	मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 10.2.1	प्रशिक्षण दर रु. 23/- प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षणार्थी।
	2	मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 8	टूलकिट की वास्तविक लागत अथवा अधिकतम रु. 1250/- (जो भी कम हो)।
श्रेणी-तृतीय समर्थ	3	मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 20.2.1	प्रशिक्षण दर रु. 23/- प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षणार्थी। विशेष योग्यजन, भिक्षावृत्ति में लिप्त लोग, सफाईकर्म एवं यूनिकस (MTH)/ट्रांसजेन्डर - रुपये 40/- प्रति घंटा प्रति प्रशिक्षणार्थी।
	4	मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 18	टूलकिट की वास्तविक लागत अथवा अधिकतम रु. 1250/- (जो भी कम हो)।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग की आई. डी. नम्बर 332100626 दिनांक 27.10.2021 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

नलिनी कठोटिया
प्रबन्ध निदेशक, (आरएसएलडीसी)

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएसएलडीसी।
2. महाप्रबन्धक-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, आरएसएलडीसी।
3. मुख्य लेखाधिकारी, आरएसएलडीसी।
4. कार्यक्रम प्रबन्धक, पीएमसीए।
5. एमआईएस मैनेजर को आरएसएलडीसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

योजना प्रभारी
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना